राष्ट्रीय न्यास - मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित की गई स्थानीय स्तर की समितियों के बारे में जानकारी का प्रदर्शन

1) **अधिनियमन (मानसिक दिव्यांगता अधिनियम) के तहत सुविधाओं के बारे में आवश्यक विवरण-**

"राष्ट्रीय न्यास के मूल उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:-

a) दिव्यांग व्यक्तियों को सक्षम और सशक्त बनाना, ताकि वे जितना हो सके उतना स्वतंत्र रूप से रह सकें और जिस समुदाय से वे संबंधित हैं उसमें जितना संभव हो सके उतना पूरी तरह से और उसके करीब रह सकें;
b) दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए सुविधाओं को सशक्त करना, ताकि वे अपने परिवारों के साथ रह सकें;
c) दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाएं देने के लिए पंजीकृत संगठन के लिए सहायता बढ़ाना;
d) उन दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं को हल करना जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है;
e) दिव्यांग व्यक्तियों के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल करने और उन्हें आगे बढ़ने के उपायों को बढ़ावा देना;
f) इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विकसित करना;
g) समान अवसरों की अनुभूति, अधिकार की सुरक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी के लिए सुविधा देना; और
h) कोई ऐसा अन्य कार्य करना जो ऊपर बताई गई चीजों के लिए प्रासंगिक है।"

2) "मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत जिला न्यायालय द्वारा या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी कानूनी संरक्षकता प्रमाणपत्र दिव्यांग व्यक्तियों के बैंक खाते को खोलने/संचालित करने के लिए स्वीकार्य है।"

3) स्थानीय स्तर की समितियों का विवरण शाखा सूचना फ़ोल्डर में उपलब्ध है।

कृपया किसी भी सहायता के लिए हमारे सेवा वितरण एंबेसडर से संपर्क करें।

आपका धन्यवाद

आरबीएल बैंक लिमिटेड

शाखा प्रबंधक